क्रमांक- 62

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

सोमवार, दिनांक 13 अगस्त, 2018 (श्रावण 22, 1940)

निर्वाचन क्षेत्र क्र.88-पुष्पराजगढ़ (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री फुन्देलाल सिंह मार्को को बंदी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

पुलिस अधीक्षक, ज़िला अनूपपुर की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 02.08.2018, जो इस सचिवालय में दिनांक 02.08.2018 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

" मुझे आपको यह सूचना देनी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 जा.फौ. के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री फुन्देलाल सिंह मार्को को (यथास्थिति, बंदीकरण या निरोध के कारण) बंदी कर लिया जाय.

तदनुसार मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री फुन्देलाल सिंह मार्को को दिनांक 01 अगस्त, 2018 को 12.15 बजे बंदी कर लिया जा कर कार्यपालिक दण्डधिकारी, अनूपपुर के आदेशानुसार उन्हें 15.00 बजे रिहा कर दिया गया है. "

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.